


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म कार्यवाही मय इनिशयल्स जज</p>	<p>नमबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.7.12</p>	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान- न्याय आपके द्वार 2017 के फालोऑप केम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र सडा में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी ने निवेदन किया ,कि आवेदन में निम्नांकित रकबे का मौके पर आमजन द्वारा रास्ते में उपयोग लिया जा रहा है। जबकि राजस्व रिकोर्ड में भूमि निजी खातेदारी मे दर्ज है। कि उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज किया जावें।</p> <p>हमने प्रार्थी को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि आवेदन में उल्लेखित भूमि निजी खातेदारी मे दर्ज है। जबकि प्रस्तावित रकबे का गैर मुमकिन रास्ते में उपयोग हो रहा है। जिसे राजस्व रिकोर्ड में भी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। विप्रार्थीगण बावजूद सुचना के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी को प्रस्तावित रकबा गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने मे उनकी मौन स्वीकृति है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनवाया गया और शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी, मणधरा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ)सिणधरी

(पीठीसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प-अटल सेवा केन्द्र सड़ा

क्रमांक: /राजस्व/2017/651

दिनांक:-15.7.2017

मु.सं:-64/17

--:आदेश:-

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक:प.12(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि राजस्व ग्राम सरवणों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2070-2073 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम सरवणों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की निम्नांकित प्रस्तावित रकबे को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		लम्बाई व चौड़ाई गट्टों में	
					रकबा	किस्म	लम्बाई	चौड़ाई
1	लक्ष्मी पत्नि आदु कौम जाट सा. देह खातेदार	144/1	0-09	बा. दो.	0-09	गै.मु. रास्ता	120	1-50
2	देवाराम मूलाराम भेराराम पि. अचालाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	144/7	1-01	बा. दो.	1-01	गै.मु. रास्ता	170	2-50
3	राजूराम शेराराम पि.मेहराराम जोगाराम वल्द सोनाराम नोजी पत्नि सोनाराम मानाराम तुलछाराम पि. पेमाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	141/5	1-06	बा. दो.	1-06	गै.मु. रास्ता	253	2-00
	देवाराम मूलाराम भेराराम पि. अचलाराम कौम जाट सा.देह खातेदार।	144/6	0-05	बा. दो.	0-05	गै.मु. रास्ता	68	1-50
5	खेता अमरा भगा पि. मूला ओमाराम जसाराम पि. हरजी ना.कुदरती वली माता मु.चूनी बेवा हरजी कौम जाट सा.देह	158/3	0-12	बा. दो.	0-12	गै.मु. रास्ता	120	2



उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

6	गिरधारीराम मोतीराम पुरखाराम खरताराम दलाराम पि. चौखाराम जैती पत्नि चौखाराम कौम जाट सा.देह	158 / 1	0-16	बा. दो.	0-16	गै.मु. रास्ता	156	2
7	खेताराम अमराराम मगाराम पि. मूलाराम ओमाराम जसराम पि. हरजीराम ना.बा.की कु.वली माता चुनी देवी पत्नि हरजीराम कौम जाट सा.देह	158 / 13	0-14	बा. दो.	0-14	गै.मु. रास्ता	140	2

क्रमांक: / राजस्व / 2017 / 652 - 53
प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर, बाड़मेर।
तहसीलदार सिणधरी।



(Signature)

(नाथुसिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
दिनांक 15.7.2017

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी